प्रेस नोट **31/12/2024**

साइबर क्राइम टीम द्वारा वादी के फ्रॉड हुये पैसे को वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में साइबर अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्रि व क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में थाना साइबर क्राइम मऊ पर पंजीकृत अभियोग 27/2024 धारा 420 भादवि व 66सी, 66डी आईटी एक्ट में प्रभारी निरीक्षक हरेन्द्र यादव थाना साइबर क्राइम मऊ व विवेचक निरीक्षक राकेश कुमार सिंह अपराध शाखा मऊ द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए वादी के खाते से साइबर अपराधियों द्वारा फर्जी वीजा बनाकर विदेश भेजने के नाम पर अवैध रूप से निकाले गये 65000 रूपयों मे 40000/. रूपये दिनांक 19.12.2024 को वापस कराये गये थे तथा शेष धनराशि 25000/- रूपये दिनांक 28.12.2024 को वादी के खाते में वापस कराये गये। साइबर अपराध से बचाव के लिए निम्न बातों का ध्यान रखें-किसी भी अन्जान व्यक्ति के साथ ओटीपी शेयर न करे, जालसाजो से सावधान रहे एवं किसी भी प्रकार का साइबर फ्राड होने पर साइबर हेल्प लाईन नम्बर 1930 या WWW.CYBERCRIME.GOV.IN पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराये।

बरामदकर्ता पुलिस टीम–

प्र0नि0 श्री हरेन्द्र यादव थाना साइबर क्राइम जनपद मऊ, नि० राकेश सिंह अपराध शाखा जनपद मऊ (विवेचक) व थाना साइबर क्राइम जनपद मऊ टीम हे0का0 शैलन्द्र कुमार कन्नोजिया, का० प्रभात कुशवाहा, का0 अनूप यादव, का0 अर्वेन्द्र प्रताप मिश्र, का0 शशिकान्त मणि त्रिपाठी, का0 प्रदीप कुमार पटेल शामिल रहे।

03 नफर बाल अपचारी चोर पुलिस अभिरक्षा में, कब्जे से चोरी की कुल नगद 96700 रूपया, दो अदद पीली धातु का बिस्किट, एक अदद सफेद धातु का सिक्का, एक अदद बिना नम्बर की नई मोटर साइकिल हीरो स्पेलेण्डर प्लस बरामद–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब दिनांक 31.12.2024 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर रेलवे कालोनी मऊ थाना कोतवाली नगर मऊ के पास से 03 नफर बाल अपचारी चोर के कब्जे से चोरी की कुल नगद 96700 रूपया, दो अदद पीली धातु का बिस्किट, एक अदद सफेद धातु का सिक्का, एक अदद बिना नम्बर की नई मोटर साइकिल हीरो स्पेलेण्डर प्लस बरामद कर पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। इस संबंध में उक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 427/24 धारा 305,331(4),324(4),317(2),3(5) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पंजीकृत अभियोग -

1. मु.अ.सं. 427/2024 धारा 305,331(4),324(4), 317(2),3(5) बीएनएस

बरामदगी –

1. कुल नगद रूपया 96700।
2. दो अदद पीली धातु का बिस्किट।
3. एक अदद सफेद धातु का सिक्का।
4. एक अदद बिना नम्बर की नई मोटर साइकिल हीरो स्पेलेण्डर प्लस ।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 शंकर कुमार यादव , थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
2. उ0नि0प्रशिक्षु सत्येन्द्र प्रजापति, थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
3. का0 राहुल मौर्य, थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
4. का0 राजकुमार, थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
5. का0 धर्मेन्द्र सिंह, थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।